न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36 / 2018 (2018 / 00095) वादपत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 1558 रकबा 0.05 है0 व 1560 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि खाता संख्या 350 पर स्थित है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण के भुगत भोग में होकर उन्ही के कब्जे काश्त में चली आ रही है व वादीगण ही उनका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ये भूमिया वादीगण के नाम एक ही चक के रूप में स्थित है। वादीगण उक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण के भी उक्त वर्णित भूमियो के पड़ौस में भूमिया स्थित है। जिससे प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर दीवार को ढंसा कर पत्थरो को नीचे गिरा दिया वादीगणो के नुकसान कारित किया व उक्त आराजी से वादीगणो को बेदखल करने का प्रयास किया व मारपीट की। प्रतिवादीगण किसी न किसी बात को लेकर उनके उपयोग उपभोग करने में नाजायज दंखलदांजी करते रहते है व वादीगण की भूमि पर अपना कब्जा जमाना चाहते है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 1558 रकबा 0.05 है0 व 1560 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की नाजायज दंखलदांजी नही करे। वादीगण को शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त करने देवे। वादीगण द्वारा बनाई गयी चारदीवारी को या भूमियो को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुॅचावे। वादीगण को उनकी भूमियो की सुरक्षा करने देवे। वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे व वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और यदि दौराने वाद वादीगण की उक्त भूमियो की दीवार को प्रतिवादीगण ढसां देवे

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः उसको प्रतिवादीगण के खर्चे पर पूर्ववत स्थिति में लाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता फारूख मोहम्मद द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जो पत्रावली किया गया जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में प्रार्थी की साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है और वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस कर वाद स्वीकार करते हुए बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादी ग्राम केमुनिया की वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। प्रतिवादीगण का इस आराजियात से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है किन्तु दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि पूर्व में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जरिये इकरार मूल खातेदार से क्रय की गई थी और इस पर हमारा कब्जा था किन्तु मूल खातेदार से वादीगण द्वारा अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा भूमि क्रय कर विपक्षी को बेदखल कर दिया गया वादी द्वारा विपक्षी की आराजी नम्बर 1562 से रास्ता हेतु अलग प्रकरण दर्ज करा रखा है उसमें विपक्षी की ओर से काउन्टर क्लेम है। विपक्षी की आराजी 1556 वादी के पास स्थित है विपक्षी वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1558 से होकर अपनी खातेदारी 1556 व 1545 में प्रवेश करता है। विपक्षी को जाने हेतु 20 फीट का रास्ता देने के बाद में वाद डिक्री किया जावे विपक्षी कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित वादीगण के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 1558 रकबा 0.05 है0 मे से पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादीगण के आवागमन हेतु 20 फीट रास्ते को छोड़कर शेष रकबे में व आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.10 है0 भूमि में वादीगण को उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का वादीगण को नुकसान पहुॅचाएं। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8.10.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36 / 2018 (2018/ 00095) वादपत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता उदा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित वादीगण के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 1558 रकबा 0.05 है0 मे से पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादीगण के आवागमन हेतु 20 फीट रास्ते को छोड़कर शेष रकबे में व आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.10 है0 भूमि में वादीगण को उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का वादीगण को नुकसान पहुँचाएं। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested